



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122025-268743
CG-DL-E-22122025-268743

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5744]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947

No. 5744]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5941(अ).— केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (सीसीएसईए) के गठन को अधिसूचित करने संबंधी भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3- उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के दिनांक 16-01-2025 के का.आ. 323(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

2. उक्त अधिसूचना में,—

(क) क्रम सं. 8 और 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी-

8. डॉ. रुचि सिंह, वैज्ञानिक- एफ, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), मुख्यालय।

(प्रतिनिधि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली)

11. डॉ. नागेंद्र आर. हेगड़े, वैज्ञानिक - एच , राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (ब्रिक-एनआईबी), हैदराबाद।
(प्रतिनिधि, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली)

[फा. सं. वी -11011(13)/9/2024-सीपीसीएसईए-डीएडीएफ]

डॉ. मुथुकुमारसामी बी., संयुक्त सचिव

टिप्पणी: पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (सीसीएसईए) का पुनर्गठन भारत के राजपत्र, असाधारण अधिसूचना क्रमांक का.आ. 323(अ) दिनांक 16.01.2025 द्वारा किया गया था जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 4884(अ) दिनांक 23 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5941(E).— In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Number S.O. 323(E) dated 16.01.2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii) notifying the constitution of the Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals(CCSEA), namely:

2. In the said notification:-

(a) at entry related to the serial number 8 and 11 following entries shall be inserted—

8. Dr. Ruchi Singh, Scientist- F, Indian Council of Medical Research (ICMR), Headquarters.
(Representative, Indian Council of Medical Research, New Delhi)

11. Dr. Nagendra R. Hegde, Scientist - H, National Institute of Animal Biotechnology (BRIC-NIAB), Hyderabad
(Representative, Department of Biotechnology, New Delhi)

[F. No. V-11011(13)/9/2024-CPCSEA-DADF]

Dr. Muthukumarasamy B., Jt. Secy.

Note:

The Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals (CCSEA) was reconstituted in the Extraordinary Gazette of India vide notification number S.O. 323(E) dated 16.01.2025 which was amended vide notification number S.O. 4884 (E) dated 23rd October, 2025.